न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला शाजापुर (म.प्र.)

समक्षः श्री आदिल अहमद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शाजापुर

{ निर्णय की तारीख **02.08.2022**}

{ प्रकरण संख्या **782/2016**}

{प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध क्रमांक **177/16** पुलिस थाना **मोहन बड़ोदिया**}

Filling No. RCT NO. 102720/2016

Registration No. RCT/782/2016

CNR No. MP 4201-003150-2016

Filling Date- 08-03-2016

अभियोजन	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–मोहन बड़ोदिया, जिला शाजापुर म.प्र.।
प्रतिनिधित्व द्वारा	म.प्र. राज्य द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी – श्री राघवेन्द्र सिंह धाकड़
अभियुक्त	**नाम सभी विशिष्टियों सहित** 1– सोनू पिता लखन, आयु 28 वर्ष, 2– बबलू पिता माधूराम, आयु 25 वर्ष, दोनों निवासी– ग्राम माधोपुर, थाना सुंदरसी, जिला शाजापुर
प्रतिनिधित्व द्वारा	**अधिवक्तागण का नाम** श्रीमती एल.के. ठाकुर अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	28.07.2016
प्र.सू.रि. की तारीख	28.07.2016
आरोप–पत्र की तारीख	08.03.2016
आरोपों के विरचना की तारीख	28.11.2016
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	28.12.2016
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	02.08.2022
निर्णय की तारीख	**02.08.2022**
दंडादेश यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

(अभियुक्त का विवरण)

अभि. की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.स. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की

							अवधि
1	सोनू कंजर	12.08.16	24.08.16	457, 380	दोषमुक्ति	निरंक	12 दिवस
2	बबलू कंजर	12.08.16	24.08.16	457, 380	दोषमुक्ति	निरंक	12 दिवस

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षी –

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–1	रामेश्वर	नक्शामौका साक्षी
अ.सा.–2	कंवरलाल	परिस्थितिजन्य साक्षी
अ.सा.–3	ब्रजमोहन	फरियादी साक्षी
अ.सा.–4	राधेश्याम	तलाश एवं जप्ती साक्षी
अ.सा.–5	होकम सिंह	तलाश एवं जप्ती साक्षी
अ.सा.–6	अवधेश कुमार शर्मा	परिस्थितिजन्य साक्षी
अ.सा.–7	दिनेश नागर	अनुसंधान साक्षी
अ.सा–8	हुकुम सिंह सोलंकी	अनुसंधानकर्ता साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	निरंक	

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि हो तो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	निरंक	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन –

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.पी.–1/अ.सा.–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्र.पी.–2/अ.सा.–3	नक्शा मौका
3	प्र.पी.–3/अ.सा.–4	मेमोरेंडम अभियुक्त सोनू
4	प्र.पी.–3/अ.सा.–5	मेमोरेंडम अभियुक्त सोनू
5	प्र.पी.–4/अ.सा.–5	मेमोरेंडम अभियुक्त बबलू
6	प्र.पी.–4/अ.सा.–4	तलाशी पंचनामा
7	प्र.पी.–5/अ.सा.–5	गिरफ्तारी बबलू कंजर

8	प्र.पी.–6/अ.सा.–5	गिरफ्तारी सोनू कंजर
9	प्र.पी.–7/अ.सा.–5	संपत्ति जप्ती पत्रक अभियुक्त सोनी
10	प्र.पी.–8/अ.सा.–5	संपत्ति जप्ती पत्रक अभियुक्त बबलू

ख. प्रतिरक्षा :–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	

घ. आवश्यक वस्तुऐं :–

स.क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
	निरंक	

आरक्षी केन्द्र मोहन बड़ोदिया, जिला शाजापुर के अपराध क्रमांक 177/2016 अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उद्भूत प्रकरण।

–::निर्णय::–

01. अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 457, 380 के अतंर्गत दण्डनीय अपराध का इस आशय का आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 27.07.2016 से दिनांक 28.07.2016 की दरम्यानी रात 01:00 बजे सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल मोहन बड़ोदिया में सूर्यास्त के पश्चात् किंतु सूर्योदय के पर्वू चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौप्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन कारित करने एवं फरियादी बृजमोहन के आधिपत्य के कम्प्यूटर मय सेट एवं इनवेटर बैटरी व एल.ई.डी. फरियादी बृजमोहन की अनुमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से उसके कब्जे से हटाकर चोरी की।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ब्रज मोहन सोनी ने आरक्षी केन्द्र मोमन बरोदिया शाजापुर में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की कि वह सरस्वती शिशु मंदिर में प्राचार्य के पद पर पदस्थ होकर दिनांक 27.07.16 को 06:30 बजे स्कूल बंद करके घर चले गए थे। दिनांक 28.07.2016 को सुबह 07:30 बजे चौकीदार कवरलाल ने आकर बताया कि कार्यालय व कक्ष के ताले कटे पड़े हैं, फिर वह व रामेश्वरजी जागीरदार अध्यक्ष स्कूल में आए, देखा तो कार्यालय में रखे कम्प्यूटर मय इन्वेटर बैटरी व एलईडी नहीं मिली व सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, कोई अज्ञात बदमाश उक्त सामान चोरी कर ले गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र मोहन बड़ोदिया द्वारा अपराध क्रमांक 177/16, धारा 457, 380 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी, मेमोरेंडम एवं आवश्यक अनुसंधान

पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 457, 380 भा.दं.सं. में संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया।

03. प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 457, 380 के अधीन दण्डनीय अपराध की विशिष्टियॉ विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनायी व समझायी गयी तो अभियुक्तगण ने अपराध कारित किया जाना अस्वीकार कर प्रतिरक्षा चाही। अभियुक्तगण का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण ने धारा 294 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियोजन के समस्त दस्तावेजों की सत्यता को अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. किये जाने पर अभियुक्तगण ने प्रकरण में झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। साथ ही अभियुक्तगण ने अपने बचाब में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये है।

04. प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रमुख विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :–

क्रं.	विचारणीय प्रश्न
1.	''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 27.07.2016 से दिनांक 28.07.2016 की दरम्यानी रात 01:00 बजे सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल मोहन बड़ोदिया में सूर्यास्त के पश्चात् किंतु सूर्योदय के पर्वू चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौप्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन कारित किया'' ?
2.	''क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी बृजमोहन के आधिपत्य के कम्प्यूटर मय सेट एवं इनवेटर बैटरी व एल.ई.डी. फरियादी बृजमोहन की अनुमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से उसके कब्जे से हटाकर चोरी की'' ?
3.	दोषसिद्धि एवं दंडादेश, यदि हो तो ?

–:: <u>विवेचना एवं सकारण–निष्कर्ष</u> ::–

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 के संबंध में –</u>

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के समुचित क्रमबंधन, सम्यक् विवेचना एवं पुनरावृत्ति निवारित करने के आशय से उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05. उक्त संबंध में साक्षी ब्रजमोहन अ.सा.–03 का कथन है कि वह सरस्वती विद्या मंदिर मोहन बड़ोदिया में प्राचार्य के पद पर पदस्थ होकर घटना उसके न्यायालयीन कथन दिनांक से लगभग 14–15 माह पूर्व रात्रि के समय की होकर रात्रि के 1 बजे से

सुबह 5 बजे के लगभग की है। उसके चौकीदार ने घटना के अगले दिन उसके घर पर आकर उसे बताया कि विद्यालय के कार्यालय का ताला कटा हुआ है, फिर वह और विद्यालय अध्यक्ष रामेश्वर जागीरदार साथ में विद्यालय में गये थे, जाकर देखा कि विद्यालय के कार्यालय का ताला कटा हुआ था, किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की थी, सामान, कम्प्यूटर सेट, कैमरा एल.ई.डी. इन्वरटर बैटरी की चोरी थी एवं सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, उसने देखकर पुलिस थाना मोहन बड़ोदिया में पुलिस को सूचना देकर बुलाया। पुलिस मौके पर आ गई थी, रिपोर्ट प्र.पी.–1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने नक्शामौका बनाया था, जो प्र.पी.–2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

06. साक्षी रामेश्वर अ.सा.–1 का कथन है कि वह ग्राम मोहन बड़ोदिया में स्कूल सरस्वती में अध्यक्ष है। घटना करीबन 27 जुलाई 2016 की है, उसे घटना के संबंध में चौकीदार ने सूचना दी थी कि स्कूल में चोरी हो गई फिर उसने स्कूल में जाकर देखा और फिर पुलिस को सूचना दी कि स्कूल से कम्प्यूटर, सी.सी.टी. का पूरा सेट आदि चोरी हो गए थे, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी।

07. साक्षी कंवरलाल अ.सा.–2 का कथन है कि वह सरकारी शिशु मंदिर मोहन बड़ोदिया में चौकीदारी करते हुए घटना उसके न्यायालयीन कथन से 7–8 माह पूर्व की है। घटना दिनांक की रात बहुत तेज पानी गिर रहा था, वह स्कूल में चौकीदारी करने के बाद रात तीन बजे के लगभग सो गया था। सुबह 6 बजे जब उठा तो देखा कि स्कूल के ऑफिस के एवं दो क्लास रूम के ताले टूटे हुए थे और अंदर का कम्प्यूटर एल.सी.डी. कैमरा आदि सामान कोई व्यक्ति चोरी करके ले गया था, उसने घटना की सूचना प्रिंसिपल ब्रजमोहन को तत्काल दी थी।

08. साक्षी अवधेश कुमार शर्मा अ.सा.–6 का कथन है कि वह जुलाई 2016 से सरस्वती स्कूल मंदिर में लेखापाल के पद पर कार्यरत होकर दिनांक 28 जुलाई 2016 को स्कूल में चोरी हो गई थी। वह दूसरे दिन सुबह स्कूल में गया तो उसे पता चला कि स्कूल के कार्यालय में रखे कम्प्यूटर बैटरी, आदि सामान चोरी हो गए थे, कोई अज्ञात व्यक्ति उन्हें चुराकर ले गया था।

09. साक्षी सहायक उपनिरीक्षक दिनेश नागर अ.सा.–7 का कथन है कि वह दिनांक 28.07.2016 को थाना मो. बड़ोदिया में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत होकर फरियादी बृजमोहन सोनी की मौखिक रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्र. 177 / 16 धारा 457, 380 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी, जो प्र.पी. –1 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. साक्षी हुकम सिंह सोलंकी अ.सा.–08 का कथन है कि वह दिनांक 12.08.2016 को थाना मोहन बड़ोदिया में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ होकर उसे अपराध क्रमांक

177 / 16 धारा 457, 380 भा.दं.सं. की डायरी अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी, अनुसंधान के दौरान आरोपी बबलू पिता रूगनाथ को समक्ष पंचान पूछताछ करने पर आरोपी ने जानकारी दी थी कि दिनांक 28.07.2016 को रात्रि में उसके साथ सोनू कंजर के साथ सरस्वती शिशु मंदिर मोहन बड़ोदिया के ताला काटकर कंप्यूटर ए.ई.डी. और कम्प्यूटर बैटरी चोरी किए थे, उसके पास कम्प्यूटर सेट था, वह उसने वेयर हाउस के पीछे सदर के बगीचे की बागड़ में छिपाकर रखा है, चलो चलकर बरामद करा देता हूॅ। उक्त सूचना के आधार पर धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमोरेंडम तैयार किया था, जो प्र.पी.–4 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बाद आरोपी बबलू को पंचान गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.–5 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उक्त दिनांक को आरोपी बबलू कंजर द्वारा बताए स्थान वेयर हाउस के पीछे संतरे के बगीचे की बागड़ में पेश करने पर एक कम्प्यूटर एल.जी कंपनी का काले रंग का पुराना इस्तेमाल किया गया, एक की–बोर्ड, जिस पर एच.पी. लिखा है, एक इंवेटर भूरे रंग का जिस पर माईक्रोटेक लिखा हुआ है और एक माउस काले रंग का जिस पर आर.एपीओओ लिखा हुआ है, समक्ष पंचान जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.–8 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. उक्त साक्षी का आगे यह भी कथन है कि दिनांक 12.08.2016 को आरोपी सोनू द्वारा समक्ष पंचान जानकारी दी थी कि उसके हिस्से में इंवेटर की बैटरी, एक एलईडी जो उसने वेयर हाउस के पीछे संतरे के बगीचे के बागड़ में छिपाकर रखी है, चलो चलकर बरामद करा देता हूॅ। आरोपी सोनू द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमोरेंडम समक्ष पंचान तैयार किया था, जो प्र.पी.–3 है जिसके बी से बी भाग पर उसके एवं सी से सी भाग पर आरोपी सोनू के हस्ताक्षर हैं। आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.–6 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर सोनू के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही सोनू की निशांदेही से पंचान के समक्ष वेयर हाउस के पीछे संतरे की बगीचे के बागड़ से सोनू द्वारा पेश करने पर एक इंवेटर बैटरी आसमानी नीले रंग की, जिसके दोनों साईड में सोनिक पीपी 1500 लिखा हुआ, एक एलईडी काले रंग की जिस पर एलजी लिखा हुआ है तथा 20 एम. 35 क्यू.व्ही. एटीआर लिखा हुआ है, जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.–7 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी सोनू के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 13.08.2016 को आरोपी सोनू ने समक्ष पंचान जानकारी दी थी कि जिस कटर से ताला काटा था, वह संतरे के बगीचे में फेंक दिया, चलो चलकर बरामद करा देता हूं, आरोपी के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रपी.–3 का मेमोरेंडम तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी सोनू के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी द्वारा बताए गए स्थान कृष्ण वल्लभ पाटीदार का संतरे का बगीचा पंचानों के समक्ष कटर की तलाश करते नहीं

मिलने पर तलाशी पंचनामा बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके और सी से सी भाग पर आरोपी सोनू के हस्ताक्षर हैं।

12. उपरोक्त आई साक्ष्य तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि घटना के संबंध में रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति दर्ज की गई थी। इस प्रकार प्रकरण प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित न होकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की ऐसी अटूट श्रृंखला प्रस्तुत करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा–114 के उपधारणा की जा सकती है। ऐसे मामलो के संदर्भ में जहां कोई प्रत्य क्ष साक्ष्य न हो और परिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर विनिश्चय करना पडे, उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चयों की एक श्रृंखला में निरंतर यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे साक्ष्य को अनिवार्यतः निम्न कसोटियों पर खरा उतरना चाहियेः–

अ– जिन परिस्थितियों से दोषिता के बारे में निष्कर्ष निकाला जाना हो, उन्हें विश्वस्त रूप से और दृढ़ता से साबित किया जाना चाहिए।

ब– उन परिस्थितियों की अभियुक्तगण की दोषिता की ओर इंगित करने की निश्चित प्रवृति होनी चाहिये।

स– यदि उन परिस्थितियो को संयुक्ततः लिया जाये तो उनकी ऐसी पूर्ण श्रृंखला बन जाये कि इस निष्कर्ष पर पहुॅचना ही पडे कि तमाम मानव अधिसंभाव्यताओं को ध्यान में लेते हुये अभियुक्तगण द्वारा ही अपराध कारित किया गया था अथवा किसी अन्य के द्वारा नहीं।

द– दोषसिद्धि को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि परिस्थितिक साक्ष्य पूर्ण और अभियुक्तगण की दोषिता के सिवाय किसी अन्य परिकल्पना से उनका स्पष्टीकरण न हो सके और ऐसा साक्ष्य अभियुक्तगण की दोषिता से केवल सुसंगत ही न हो, बल्कि उनकी निर्दोषिता से असंगत भी हो।

13. प्रकरण में अभियोजन द्वारा महत्वपूर्ण विवेचक हुकुम सिंह सोलंकी द्वारा अभियुक्त बबलू के धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन मेमोरेंडम कथन प्र.पी.–4 तैयार किए जाने का कथन किया है, परंतु उक्त मेमोरेंडम कथन किन साक्षियों के समक्ष उसके द्वारा लेखबद्ध किए गए, इस आशय का कोई कथन नहीं किया गया है। केवल यह बताया है कि समक्ष पंचान के अभियुक्त बबलू के बताए गए स्थान से मेमोरेंडम प्र.पी.–4 के कथन अनुसार संपत्ति जप्त की गई थी। इसी प्रकार अभियुक्त सोनू का मेमोरेंडम कथन दिनांक 12.08.2016 तथा दिनांक 13.08.2016 को तैयार किया जाना और उक्त दस्तावेज एक ही होकर प्र.पी.–3 होना बताया है और उक्त कथन के अनुसार बताए गए स्थान से चुराई हुई संपत्ति जप्त किया जाना बताया है, परंतु संपत्ति किन साक्षीगण के समक्ष जप्त की गई, इस आशय का कोई स्पष्ट कथन हुकुम सिंह द्वारा नहीं किया गया है और इस प्रकार अभियुक्तगण के जो मेमोरेंडम कथन प्र.पी.–3 व 4 लेख

किए गए हैं, उसकी सत्यता के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य न होकर युक्तियुक्त संदेह की स्थिति विद्यमान है।

14. अभियोजन की ओर से बताए गए पंचशील साक्षीगण राधेश्याम तथा होकम सिंह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण को सामने आने पर भी नहीं जानने का कथन कर पुलिस द्वारा उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं किया जाना बताया है। राधेश्याम द्वारा उसके समक्ष अभियुक्त सोनू के बगीचे की तलाशी नहीं लिए जाने का कथन कर मेमोरेंडम प्र.पी.–3, तलाशी पंचनामा प्र.पी.–4 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने मात्र का कथन किया है। पंचशील साक्षी होकम सिंह द्वारा भी यह बताया है कि वह किसी काम से थाना मोहन बड़ोदिया में गया था, जहां पुलिस ने उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे, जिनके संबंध में पुलिस वालों ने बताया भी नहीं था, इस प्रकार पंचशील साक्षीगण राधेश्याम एवं होकम सिंह द्वारा अभियोजन पक्ष का समर्थन न किए जाने पर न्यायालय से अनुमति उपरांत सूचक प्रश्न और वह सभी प्रश्न जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने पर उक्त पंचशील साक्षीगण द्वारा अभियोजन पक्ष का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है और इस प्रकार उक्त पंचशील साक्षीगण की साक्ष्य से प्रकरण के विवेचक हुकुम सिंह सोलंकी की आई साक्ष्य की संपुष्टि नहीं होती है।

15. अभिलेख पर इस आशय की भी कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है कि चुराई हुई संपत्तियों के रूप में पहचान कराई गई हो। इस प्रकार पहचान संबंधी कार्यवाही के संबंध में भी अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत न होने से अभियोजन कथा संदेह के घेरे में होकर युक्तियुक्त संदेह की स्थिति विद्यमान है। इस प्रकार हुकुम सिंह सोलंकी द्वारा अपनी विवेचना का वृतांत परिस्थितियों की अटूट श्रंखला के अनुसार नहीं बताया गया है। हुकुम सिंह सोलंकी द्वारा मेमोरेंडम कथन तथा बताए गए स्थान से जप्ती किन साक्षियों के समक्ष की गई, इसका स्पष्ट कथन न किए जाने से भी अभियोजन कथा संदेह के घेरे में होकर युक्तियुक्त संदेह की स्थिति विद्यमान है। चुराई गई संपत्तियों की जप्ती उपरांत शिनाख्ती की कार्यवाही परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक महत्वपूर्ण श्रंखला है, जिसका अभाव होना अभियोजन कथा को संदेहास्पद बना देता है। इस प्रकार अभिलेख पर अभियोजन की ओर से परिस्थतिजन्य साक्ष्य की ऐसी अटूट श्रंखला निर्मित होने संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत होकर प्रमाणित नहीं पाई जाती है, जिससे संदेह से परे अभियुक्तगण की दोषिता का निष्कर्ष निकलने से अन्यथा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता हो।

16. **दण्ड विधि के सुस्थापित सिद्धांत** अनुसार अभियोजन पर यह दायित्व है कि वह युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्तगण के विरूद्ध उनके दोषी होना प्रमाणित करे। सबूत का भार सदैव अभियोजन पर होता है और जब तक अभियोजन संदेह से परे मामला सिद्ध ना कर दे अभियुक्तगण के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है।

अभियुक्तगण के उपर ऐसा कोई भार नहीं होता है कि वह स्वयं को निर्दोष सिद्ध करें उसके लिये मात्र यह पर्याप्त है कि वह उनके दोषी होने के बारे में युक्ति युक्त संदेह को उत्पन्न करें। किसी भी मामले में जब युक्तियुक्त संदेह का जन्म होता है तब वहां संदेह का लाभ प्राप्त करने का अभियुक्त स्वमेव हकदार बन जाता है।

17. फलतः उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन उपरांत अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 27.07.2016 से दिनांक 28.07.2016 की दरम्यानी रात 01:00 बजे सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल मोहन बड़ोदिया में सूर्यास्त के पश्चात् किंतु सूर्योदय के पर्वू चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौप्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन कारित करने एवं फरियादी बृजमोहन के आधिपत्य के कम्प्यूटर मय सेट एवं इनवेटर बैटरी व एल.ई.डी. फरियादी बृजमोहन की अनुमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से उसके कब्जे से हटाकर चोरी की।

18. परिणामतः अभियुक्त 1– सोनू पिता लखन, आयु 28 वर्ष, 2– बबलू पिता माधूराम, आयु 25 वर्ष, दोनों निवासी– ग्राम माधोपुर, थाना सुंदरसी, जिला शाजापुर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

19. अभियुक्तगण के जमानत एवं बंध पत्र उन्मोचित किये जाते है।

20. अभियुक्तगण की निरोध अवधि के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. के अधीन प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

21. प्रकरण में जप्तशुदा इन्वर्टर, एल.ई.डी., कम्प्यूटर, की बोर्ड, एक इन्वर्टर, एक माउस दिनांक 27.08.2016 के आदेशानुसार आवेदक बृजमोहन पिता लक्ष्मीनारायण को सुपुर्दगी में दिया गया है, सुपुर्दगीनामा बाद अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में भारमुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, मेरे बोलने पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

आदिल अहमद खान
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
शाजापुर, जिला शाजापुर (म0प्र0)

आदिल अहमद खान
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
शाजापुर, जिला शाजापुर (म0प्र0)